प्रेषक,

आयुक्त
ग्राम्य विकास
उत्तर प्रदेश।

सेवामें,

मुख्य विकास अधिकारी
सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, कानपुर नगर, सोनभद्र ।

पत्रॉकः–जीओ–223/सम्पेक्षा/बजट/आईएवाई–सा0/07–08 दिनांक 30 मार्च–2008

विषयः वित्तीय वर्ष 2007–08 में इंदिरा आवास योजनान्तर्गत सामान्य मद के राज्यांश की अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–664/38–8–2007–19बजट/06, दिनांक 29–3–2008 (छाया प्रति संलग्न) का अवलोकन करें जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में इन्दिरा आवास योजना के क्रियान्वयन हेतु रू0 58,56,000/– (रूपये अठ्ठावन लाख छप्पन हजार मात्र) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 के निस्तारण पर रखी गयी है । उक्त धनराशि संलग्नक के सम्मुख कालम–3 में दर्शाये गये विवरण के अनुसार इस प्रतिबन्ध के साथ आवंटित की जा रही है कि धनराशि भारत सरकार से इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की सीमा तक आहरित की जायेगी। यदि विगत वर्ष में राज्यांश का कोई शार्टफाल हो तो आवंटित धनराशि से गैप को पूर्ण कर लिया जाय ताकि द्वितीय किश्त में राज्यांश के शार्टफाल के कारण कोई कटौती न होने पाये।

2. धनराशि की व्यय/उपभेग के समय यह सुनिश्चित किया जायेगा कि दिनांक 13–3–2008 से प्रभावी आदर्श चुनाव आचार सहिंता का उल्लधन न हो ।

3. आवंटित धनराशि का सदुपयोग संलग्न शासनादेश दिनांक 29.3.2008 में निहित प्राविधानों एवं शर्तो के अधीन किया जाय यदि निर्धारित शर्तो में कोई विचलन होता है तो इसकी सूचना इस कार्यालय के अपर आयुक्त (लेखा)/मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी को दिया जाये जो सम्पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को सूचित करेंगें।

4. धनराशि का आहरण संलग्न शासनादेश के प्रस्तर–2 में उल्लिखित लेखा शीर्षक के अर्न्तगत किया जायेगा यदि जनपद में एक से अधिक कोषागार हों तो आप आवंटित धनराशि का कोषागारवार विभाजन करके सम्बन्धित कोषाधिकारी को भेज दें।

5. आवंटित धनराशि के आहरण की सूचना, बाउचर संख्या, दिनांक तथा आहरित धनराशि के विवरण सहित इस कार्यालय के सम्प्रेक्षा अनुभाग में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

6. उक्त आवंटन चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–13 के अधीन लेखाशीर्षक–2505–ग्राम रोजगार–01–राष्ट्रीय कार्यकम–702 जवाहर ग्राम

Shiv_Iay.doc

समृद्धि योजना–01– केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–05– इन्दिरा आवास योजना (जिला योजना) (केन्द्रांश–75 प्रतिशत/राज्यांश–25 प्रतिशत)–48 पूंजीगत व्यय के लिए सहायक अनुदान के नामे डाला जायेगा एवं संलग्न पुनर्विनियोग आदेश दिनांक 28–3–2008 के अनुसार वहन किया जायेगा ।

7. योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष को सामान्य मद में आपके जनपद को पूर्व में आवंटित की गयी धनराशि को जोड़ते हुए अब तक आवंटित धनराशि का प्रागामी योग संलग्नक के कालम–4 में दर्शाया गया है।

8. उक्त आवंटन केन्द्रीय रजिस्टर के पृष्ठ–99 पर अंकित कर दिया गया है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
Manoj 30.3.08
(मनोज कुमार सिंह)
आयुक्त
ग्राम्य विकास,उ0प्र0।

पत्रॉकः जीओ–223/सम्पेक्षा/बजट/आईएवाई–सा0/07–08 उक्त तिथि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, प्रथम, इलाहाबाद।
2– सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3– सम्बन्धित जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक, उ0प्र0।
4– निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, उ0प्र0।
5– सचिव, अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
6– संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
7– सम्बन्धित कोषाधिकारी, उ0प्र0।
8– विशेष सचिव, ग्राम्य विकास अनुभाग–8, उ0प्र0शासन को उनके पत्र संख्या–664/38–8–2007–19बजट/06, दिनांक 29–3–2008 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।
9– वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग–2 वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2,उ0प्र0 शासन।
10– राज्य योजना आयोग–2/नियोजन अनुभाग–3/5/ग्राम्य विकास अनुभाग–2, उ0प्र0शासन।

(अवधेश कुमार)
अपर आयुक्त(लेखा)
ग्राम्य विकास,उ0प्र0

Shiv_Iay.doc

पत्रांक:—जीओ—223 / सम्प्रेक्षा / बजट / आईएवाई—सा0 / 07—08 दिनांक 30मार्च—2008 का संलग्नक

वर्ष 2007—08 के लिए इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत सामान्य मद में धनराशि का आवंटन (धनराशि लाख रू0 में)

1	2	3	5
क0 सं0	जनपद का नाम	आवंटित धनराशि	प्रगामी योग
1	2	3	4
1	सुल्तानपुर	41.33	142.480
2	मुजफ्फरनगर	9.33	81.930
3	कानपुर नगर	1.94	66.570
4	सोनभद्र	5.96	49.830
	योग	58.56	

(रू0 अठावन लाख छप्पन हजार मात्र)

(अवधेश कुमार)
अपर आयुक्त (लेखा)
ग्राम्य विकास, उ0प्र0

जी0ओ0 223/सम्प्रेषण 08

29/3/08 संख्या–644/38–8–2008–19(बजट)/06

प्रेषक,

राम सेवक,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

✓ आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग–8 लखनऊःदिनांक 29 मार्च,2008

विषयः– वित्तीय वर्ष 2007–08 में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत सामान्य मद के राज्यांश की अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–184/सम्प्रेक्षा/आई0 ए0वाई0/पुनर्विनियोग/2007–08 दिनांक 14 मार्च, 2008 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2007–2008 में इन्दिरा आवास योजना के कियान्वयन हेतु आवश्यक धनराशि रू0 58,56,000/– (रूपया अटठावन लाख छप्पन हजार मात्र) आपके निस्तारण पर रखने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन प्रदान करते हैः–

1– वित्तीय वर्ष 2007–2008 में इन्दिरा आवास योजना हेतु आवश्यक धनराशि रू0 58,56,000 का संलग्न आदेश संख्या–547/38–8–2008 दिनांक 28 मार्च, 2008 द्वारा पुनर्विनियोग करते हुये स्वीकृत की जा रही है।

2– धनराशि की व्यय/उपभोग के समय यह सुनिश्चित किया जायेगा कि दिनांक 13–3–2008 से प्रभावी आदर्श चुनाव आचार संहिता का उलंघन न हो।

3– स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का आहरण भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्ति के पश्चात आवश्यक 25 प्रतिशत राज्यांश की सीमा तक ही किया जायेगा यदि विगत वर्षो का अवशेष राज्यांश देय हो तो इससे पूरा किया जाएगा।

4– स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का परिव्यय उपलब्ध है फिर भी धनराशि के आहरण में परिव्यय की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। कोषागार से धनराशि का आहरण आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

5– स्वीकृत की जा रही इस धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्त–पुस्तिका तथा बजट मैनुवल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, के पश्चात ही किया जायेगा।

28/3/08

6-- समस्त व्यय प्रश्नगत योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाय तथा किसी भी परिस्थितियों में इसे बैंक में नही रखा जायेगा।

7-- इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो के द्वारा किया जायेगा। वित्तीय वर्ष के अन्त में यदि कोई भी धनराशि अवशेष बचती है तो इसे वित्त विभाग को समर्पित किया जायेगा।

2-- तत्सम्बन्धी चालू व्यय वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय--व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखाशीर्षक-2505-ग्राम रोजगार-01-राष्ट्रीय कार्यक्रम-702-जवाहर ग्राम समृद्धि योजना--01--केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें--05--इन्दिरा आवास योजना (जिला योजना) (केन्द्रांश-75 प्रतिशत/राज्यांश-25 प्रतिशत)--48-पूँजीगत व्यय के लिए सहायक अनुदान के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न पुनर्विनियोग के आदेश दिनांक--28--3--2008 द्वारा वहन किया जायेगा।

3-- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वीकृत की जा रही धनराशि का जनपदवार फॅाट सम्बन्धित जनपदों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि जिलाधिकारी इस धनराशि का आहरण कर सकें।

4-- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1--1685 /दस-16/1992 दिनांक 7-7--1992 में प्रतिनिधानित अधिकारो के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक यथोपरि

भवदीय,
RSewak
(राम सेवक)
अनुसचिव।

संख्या–644 / 38–8–2008–19(बजट) / 06,तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2– सम्बन्धित मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी,उत्तर प्रदेश।

3– सम्बंधित जिला विकास अधिकारी / परियोजना निदेशक, उत्तर प्रदेश।

4– निदेशक,कोषागार,उत्तर प्रदेश,जवाहर भवन, लखनऊ।

5– सचिव,अम्बेडकर ग्राम्य विकास विभाग,उत्तर प्रदेश शासन।

6– संयुक्त सचिव,ग्रामीण विकास मंत्रालय,भारत सरकार नई दिल्ली।

7– कोषाधिकारी,जवाहर भवन कलेक्ट्रेट कोषागार लखनऊ।

8– सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

9– वित्त (व्यय–नियंत्रक)अनुभाग–2 / वित्त(आय–व्ययक)अनुभाग–2

10– राज्य योजना आयोग–2 / नियोजन अनुभाग–3 / 5 / ग्राम्य विकास अनुभाग–3

11– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(राम सेवक)

अनुसचिव।

पुनर्विनियोग के लिये आवेदन / स्वीकृति
(सन्दर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर–158)
(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली–भाति देख लिया जाये)
अनुदान संख्या–व नाम 13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) वित्तीय वर्ष 2007–08 प्रपत्र–बी0एम0–15
(धनराशि हजार रूपये में)

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमण की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान / विनियोग (2–5)
1	2	3	4	5	6
2505–60–104–01–01–20	804450	105825	5856	5856	798594
योग–	804450	105825	5856	5856	798594

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान / विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2505–01–702–01–05–48	640000	645856	5856	5856	645856
योग–	640000	645856	5856	5856	645856

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुवल के प्रस्तर–150,151,154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों / परिसीमाओं का उलंघन नहीं होता है।

सं0–आर0ई0–490 / ई–2–273 / दस–2008 दि0–28–3–08
सेवा में, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम
उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

RSewak

हस्ताक्षर
नाम व पद नाम (राम सेवक) अनुसचिव
ग्राम्य विकास विभाग, अनुभाग–8
उत्तर प्रदेश शासन।

हस्ताक्षर
नाम व पद नाम (नरेन्द्र कुमार सिंह) अनु सचिव,
वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या–547/38–8–2008 दिनाँक 28–3–2008

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उ0प्र0,इलाहाबाद ।
2– आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0,लखनऊ ।
3– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवहर भवन/कलेक्ट्रेट,उ0प्र0,लखनऊ ।
4– निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय जवाहर भवन लखनऊ ।
5– वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग–2
6– वित्त (आय–व्ययक)अनुभाग–1/2(तीन प्रतियों में)
7– सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

हस्ताक्षर Rsewarc

नाम व पद नाम (राम सेवक)अनुसचिव
ग्राम्य विकास विभाग , अनुभाग–8
उत्तर प्रदेश शासन ।